

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 248वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 का कार्यवृत्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 248वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1-	श्री दीपक कुमार	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2-	श्री अश्वनी त्रिपाठी	मा० उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3-	श्री राम लखन पटल	मा० उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4-	श्री अजय चौहान	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5-	श्री विशाल भारद्वाज	अपर आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	सचिव
6-	श्री धर्मेन्द्र वर्मा	वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
7-	श्री सुनील चौधरी	मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
8-	श्री एस०पी०एन० सिंह	मुख्य वास्तुविद नियोजक, आ०वि० परिषद	सदस्य
9-	श्रीमती वन्दना तिवक्	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०	सदस्य
10-	श्री जावेद असलम	मु.वि.लेखा, प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ०वि०	सदस्य
11-	श्री बृज भूषण सिंह	अनुसचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन	सदस्य
12-	श्री पी०एन० सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	विशेष आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :-

विषय सूची

मद सं०	विषय	निर्णय
248/1	परिषद की 247वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 247वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि गई।
248/2	परिषद की 247वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2019 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 247वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी, 2019 की अनुपालन आख्या का मदवार अवलोकन किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

248/3	अवध विहार योजना एवं वृन्दावन योजना, लखनऊ को जोड़ने वाली रेल उपरगामी सेतु (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य की अतिरिक्त लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया
248/4	वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ के सेक्टर-18 में निर्माणाधीन कैलाश इन्वलेव परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्लिन्थ स्तर पर रोके गये 2 ब्लॉक (352 नग भवनों) के निर्माण कार्य की अनुमति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :- 1. पूर्व में उच्च स्तरीय निविदा समिति के निर्णय के अनुरूप अतिरिक्त कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जाये। 2. प्लिन्थ स्तर पर रोके गये निर्माण का स्ट्रक्चर तथा बाहरी कार्य में आने वाली लागत का आकलन कर उनको पूर्ण कर लिया जाये, तथा आन्तरिक कार्य तब शुरू किये जाये जब उपरोक्त फ्लैटों के विरुद्ध पंजीकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

प्रशासन अनुभाग

248/5	श्रीमती हेमा अग्रवाल, वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-3, लखनऊ को कार्यालय आदेश संख्या-395/प्रशा0- एक-2475 दिनांक 29.01.2018 द्वारा प्रदान त्याग पत्र (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) को त्याग पत्र अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जा रहे स्थानीय भत्ता (Conveyance Allowance) की धनराशि में वृद्धि करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/7	उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली-2017 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/8	सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नॉन फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/9	श्री हिमांशू द्विवेदी, विशेष कार्याधिकारी एवं श्रीमती श्वेता सिंह, विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय अधिसंख्य पद) की निरन्तरता के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/10	अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति किये जाने हेतु अनिवार्य 02 वर्ष की "नॉन फील्ड जाँब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

248/11	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में नगरीय परिवाहन निदेशालय को आवंटित 07एकड़(28567.28वर्गमीटर) पी-4 पार्किंग नम्बर-9ए/आईएनएस-01 के विरुद्ध आरोपित विज्ञापन शुल्क के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/12	मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या-11/489, 11/519 व 11/520 के स्थान पर आवासीय भूखण्ड संख्या 11/499, 11/500 व 11/501 से परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा ऐसे प्रकरणों जिनमें आवंटी की कोई त्रुटि नहीं है, गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर आवास आयुक्त को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है। ऐसे मामले जिसमें आवंटी को जो भूमि दी गयी है वह पूरी नहीं दी जा सकी तथा आवंटी द्वारा समय-समय पर भुगतान किया जा रहा है ऐसी दशा में भी भूमि पूरी करने में परिषद सक्षम न हो तो आवंटी की सहमति के उपरान्त उसकी

		सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित वापस की जा सकती है। ऐसे सभी मामले जहाँ पर परिषद की गलती से कब्जा नहीं दिया जा पा रहा है या आवंटन के कोर्ट केस के कारण कब्जा नहीं किया गया है एवं रजिस्ट्री की जा चुकी है अतः पुनः रजिस्ट्री करने पर जो व्यय होगा वो परिषद द्वारा वहन किया जायेगा तथा उन्हें भूखण्ड की नीलामी में लागते समय परिषद के द्वारा समस्त व्यय जिसमें रजिस्ट्री का खर्च भी शामिल तथा बाद में कब्जा हटाने में जो व्यय हुआ है उसे भूखण्ड के मूल्य में समलित कर नीलामी की जायेगी।
248/13	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम यथासंशोधित 2016 आवासीय नियम-62 में संशोधित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सम्पत्ति विनियम वर्ष 2016 के पूर्व के ऐसे आदेश जो परिषद कार्यहित में प्रयोजनीय हैं उनके संबंध में आवास आयुक्त एक समिति के माध्यम से परीक्षण कराते हुए सम्पत्ति विनियम में समाविष्ट करने की कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया।
248/14	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-7 में कम्यूनिटी फैंसिल्टी सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/15	परिषद की कमला नगर योजना में श्री हलेश सिंह को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-एफ-641 का विक्रय विलेख निष्पादन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन (Lease पर) अनुमोदित किया गया।
248/16	परिषद की पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी में इन्टेलिजेन्स ब्यूरो को आवंटित भूखण्ड संख्या-3/INS-01 (क्षेत्रफल 2432.25व0मी0) पर आरोपित विलम्ब शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/17	उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों के निस्तारण पर रोक लगाये जाने के उपरान्त दोनों राज्य के मुख्य सचिवों के मध्य सम्पन्न बैठक में हुई सहमति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वित्त एवं लेखा अनुभाग

248/18	परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय पेंशनरी बेनीफिट्स सम्बन्धी शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण में संचालित कार्यवाही का परीक्षण करते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
--------	--	--

लखनऊ जोन

248/19	परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या-7सी/13 आवंटन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	--	---

अनुशासनिक अनुभाग

248/20	अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने हेतु मा0 परिषद को प्रदत्त अधिकार के प्रतिनिधायन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर मा0 अध्यक्ष स्तर से निर्णय लिये जाने हेतु आवास आयुक्त एक समिति का गठन करने का अनुमोदन किया गया।
--------	---	---

248/21	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री श्यामलाल, तत्कालीन प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति सेवानिवृत्त प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/22	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/23	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री सी०पी० सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-2, गाजियाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वृत्त लखनऊ के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, उन पर आंकलित वित्तीय क्षति की वसूली हेतु उन्हें निर्गत की गई कारण बताओं नोटिस के संबंध में कृत कार्यवाही के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
248/24	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राम एकबाल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/25	श्री के०सी० त्रिपाठी सेवानिवृत्त, प्रभारी सम्पत्ति प्रबंधक के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, उनकी पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती 15 वर्षों तक किये जाने का दण्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/26	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विधि अनुभाग

248/27	अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 82 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---

समन्वय अनुभाग

248/28	श्री सुरेश कुमार रायतानी, निदेशक (सेवा निवृत्त) ग्लोबल सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ०एस०डी० के पद पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---

ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल

248/29	परिषद द्वारा कराये जा रहे डिपॉजिट कार्य के अन्तर्गत ऐसी परियोजनाएं जिनकी लागत रु० 10.00 करोड़ से	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
--------	--	---

अधिक है को पूर्ण किये जाने हेतु सेन्टेज मद से 5 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	
--	--

भूमि अर्जन अनुभाग

248/30	वृन्दावन योजना संख्या-1, 2, 3 व 4, लखनऊ के हितबद्ध काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत का भूखण्ड आवंटन एवं वर्ष-2002 से पूर्व बने अवैध निर्माणों के समायोजन/आवंटन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 1. सभी पात्र काश्तकारों को 60 वर्ग मीटर का ही भूखण्ड देय होगा। 2. यदि किसी काश्तकार की देयता अधिक बनती है तो उसे किस दर पर मुआवजा दिया जायेगा तथा यदि किसी काश्तकार की 60 वर्गमी० से कम देयता बनती है। तो अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में किस दर पर पैसा लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में अन्य अथारिटी में विद्यमान व्यवस्था का अध्ययन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
248/31	परिषद की वृन्दावन योजना सं०-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवड़िया के खसरा सं०-2668क की भूमि के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/32	वृन्दावन योजना संख्या-1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-खरिका की भूमि खसरा संख्या-413 में से श्रीमती आइसा बेगम द्वारा क्रय की गयी 1000.00 वर्गफुट भूमि पर बने वर्ष-2002 से पूर्व का निर्माण जो 89.664 एकड़ अतिक्रमण से प्रभावित समायोजित की गयी भूमि में सम्मिलित है, को अन्यत्र समायोजन करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/33	वृन्दावन योजना सं०-4 लखनऊ में स्थित ग्राम-कल्ली पश्चिम में सिंचाई विभाग की भूमि को लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/34	परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या-1652 में श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह की नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त/समायोजित की गयी 250.00 वर्गमीटर भूमि के बदले में आसुधार शुल्क लेकर अन्यत्र स्थल पर आवासीय भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/35	परिषद की ट्रान्स यमुना योजना, द्वितीय चरण आगरा में समाविष्ट ग्राम नरायच स्थित खसरा संख्या-2716 पर निर्मित अनाधिकृत पक्के निर्माणों की 380.46 वर्गमी० भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/36	परिषद की सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

	संख्या-1665/9 मे मै0 डी-मैक्स डेवलपर्स, प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी 1.77 हे0 भूमि के सम्बन्ध में।	
248/37	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट्स के रूप में "लैंड पूलिंग स्कीम" के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-239/8 -3-19-152 विविध/17 दिनांक 20.02.2019 के अन्तर्गत निर्धारित नीति को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/38	परिषद की प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 मथुरा के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/39	कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 अम्बेडकरपुरम में समाविष्ट आराजी सं0-273 के जुज भाग रकबा 279.12 वर्गमी0 के बेटरमेन्ट एवं उससे लगी 33.33 वर्गमी0 भूमि को वर्तमान दर पर आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/40	मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 कानपुर की भूमि दर निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/41	परिषद की लोनी रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अजन्तापुरम) गाजियाबाद में समाविष्ट समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/42	वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-1, लखनऊ में रायबरेली रोड़ के ग्राम-उतरठिया की आबादी से लगी हुयी अनियोजित भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

248/43	आवासीय भूखण्ड संख्या-10डी/09 वसुन्धरा योजना गाजियाबाद का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/44	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड़ पर स्थित भूखण्ड संख्या-ए-12 (क्षेत्रफल 783.200 वर्गमी0) का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/45	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड़ पर स्थित भवन संख्या-बी-11 (कुल क्षेत्रफल 800.00 वर्ग मी0) में भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/46	इन्दिरा नगर योजना के डी-ब्लाक में स्थित 05 नग स्कूटर गैरेज सं0-जी-1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एवं 1/6 (कुल क्षेत्रफल 55.84 वर्ग मी0) का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

248/47	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित भवन संख्या-सी-651 का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/48	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के फैजाबाद राजमार्ग के महायोजना में प्रश्नगत सड़क(निशातगंज पुल से लेकर फैजाबाद मार्ग पोलीटेक्निक चौराहे तक) को 76.00 मी० फैजाबाद मार्ग के स्थान पर 30.00 मी० अंकित करते हुये सड़क का क्षेणी शहरी मार्ग के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/49	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित भवन संख्या-ए-1030 (कुल क्षेत्रफल 417.85 वर्गमी०) में निर्मित नर्सिंग होम का भू-उपयोग आवासीय से नर्सिंग होम में परिवर्तित करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/50	भूखण्ड संख्या-सी-678, प्रहलादपुरी योजना, (नगेहटा रोड) हरदोई का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/51	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में काश्तकरों की अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष परिषद द्वारा आवंटित 6 प्रतिशत विकसित भूखण्डों में मिश्रित भू-उपयोग हेतु विकास शुल्क लिये जाने व मिश्रित उपयोग हेतु मानचित्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/52	उ०प्र० इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यूपी ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/53	इन्दिरानगर योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माईलगंज के खसरा सं०-101 व 102 के भू-उपयोग परिवर्तन की धनराशि के भुगतान के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/54	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-7 में प्रस्तावित कम्युनिटी फैसिलिटी/मेला ग्राउण्ड की भूमि में बी०ओ०टी० मॉडल पर एक स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/55	आनलाईन बिल्डिंग एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) को लागू करने हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के निर्धारण एवं मानचित्र स्वीकृति संबंधी शुल्कों में एकरूपता व पारदर्शिता लाए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/56	इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के भवन संख्या-बी-1298 (क्षेत्रफल 288.00 वर्गमी०) का भू-उपयोग आवासीय से	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

	व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	
248/57	मा0 उपाध्यक्षगण के प्रयोगार्थ मासिक किराये पर ट्रैवेल्स एजेन्सी के माध्यम से वाहन लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/58	स्टाफ भवन को निजीतौर पर आवंटन करने संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/59	कार्यालय आदेश संख्या 1469/प्रशा0-एक-205 (119) दिनांक 27.09.2019 द्वारा परिषद कार्मिकों को दिनांक 01.01.2019 से 12% से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप व्याख्यात्मक टिप्पणी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/60	कार्यालय आदेश संख्या 1470/प्रशा0-एक-825 (2015) दिनांक 27.09.2019 द्वारा पेंशनर्स (जो सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं) को दिनांक 01.01.2019 से 12 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप व्याख्यात्मक टिप्पणी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/61	Combined 50 cusec Ganga Water Supply Project Including 6 Lane Delhi-Meerut Expressway and 8-laning of NH-24 from Km 8.360 to Km 27.740 (UP Gate to Dasna in Uttar Pradesh) "Supply, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of 1500mm dia Raw water main (MS Pipe) and 1200mm Clear Water Main (MS Pipe) along NH-24, Due to Widening of NH-24 By NHAI"	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/62	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स-1973 (यथा संशोधित) के नियम विनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/63	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अन्तिम आहरित वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/64	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में विभागीय कार्य हेतु अनुबन्ध के आधार पर विशेषज्ञ कन्सलटेंट की सेवार्यें प्राप्त करने के संबंध में प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/65	परिषद की सूतमिल इटावा स्थित इंटेलेजेंस ब्यूरो (भारत सरकार का उपक्रम) को आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या आई0एन0एस0-02 के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज माफ करने हेतु प्रस्ताव को बाई सर्कलेशन अनुमोदित किये जाने के	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

	सम्बन्ध में।	
248/66	वित्तीय वर्ष-2018-19 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-2019-20 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
248/67	श्री शिव नाथ राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

सम्पत्ति अनुभाग

248/68	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 को योजना संख्या-01, इटावा में आवंटित भूखण्ड संख्या ए-246 के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
248/69	परिषद की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा एकमुश्त भुगतान किये जाने पर सम्पत्ति के कुल मूल्य में 5% छूट के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह प्रस्ताव उन सभी सम्पत्तियों पर लागू होगा जिनके आवंटन पत्र के अनुसार 60 दिन की अवधि अभी शेष है।
248/70	पर्यटन इकाईयों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क और विकास शुल्क से पूर्ण छूट तथा लीज होल्ड इकाईयों को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नियमों के अन्तर्गत फ्री-होल्ड कराने की अनुमति दिये जाने।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

लखनऊ जोन

248/71	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के लिये लखनऊ में परिषद की अवध विहार योजना के सरयू एन्क्लेव में निर्मित 02/03 बीएचके+स्टोर के 96+96 नग फ्लैट्स कुल 192 नग फ्लैट्स के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	--	---

भूमि अर्जन अनुभाग

248/72	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-1, 2, 3 व 4 लखनऊ में नियोजन समिति द्वारा अर्जन मुक्त की गयी भूमि का प्रथम आवंटन दर से आसुधार शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/73	कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 कानपुर ग्राम-लखनपुर के आराजी सं0-110 रकबा 4-15-0 बीघा भूमि का वर्तमान दर पर आसुधार शुल्क जमा कराने के उपरान्त परिषद द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

248/74	बलरामपुर बहराईच मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बलरामपुर के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
--------	--	---

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

248/75	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फ़ैजाबाद रोड पर स्थित भवन संख्या-बी-9 (क्षेत्रफल 800.00 वर्गमी0) का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
--------	---	---

प्रशासन अनुभाग

248/76	कार्यालय आदेश संख्या 1515/ प्रशा0-एक-1311 (2018) दिनांक 03.10.2019 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता के सेवाकाल 01 वर्ष बढ़ाये जाने के उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
248/77	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिक्स मानदेय पर सीमित अवधि के लिए संविदा पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

248/78	परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---

सम्पत्ति अनुभाग

248/79	परिषद विकास नगर योजना, लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-2/ सी0-17 पर आरोपित ब्याज दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
--------	---	---

भूमि अर्जन अनुभाग

248/80	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना) लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौना के सेक्टर-7 बी में मै0 ए0पी0आई0 के पक्ष में योजना से पृथक की गयी 74.876 एकड़ भूमि के सापेक्ष परिषद को प्राप्त होने वाली धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चि करने हेतु Escrow Account खोलने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	---	---

प्रशासन अनुभाग

248/81	कार्यालय आदेश 1348/प्रशा-एक-93 /2013 दिनांक 04.7.2014 एवं आदेश 2098/प्रशा0- एक-93/2013 (भाग-2) दिनांक 28.8.2014 द्वारा लागू लिपिकीय संवर्ग के ढाचे के सम्बन्ध में।	सहमत/शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जाये।
--------	--	--------------------------------------

अभियन्त्रण अनुभाग

248/82	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	इस संदर्भ में प्राप्त शासनादेश संख्या-1646/8-3-18-34 विविध/08/आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।
248/83	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय। 1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	ऐसे समस्त शासनादेश को अंगीकृत करने हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर ली जाये, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:- 1. वित्त नियंत्रक, 2. मुख्य अभियन्ता, 3. मुख्य वास्तुविद नियोजक, 4. मुख्य विधि परामर्शदाता (यदि नियुक्त हो तो) यह समिति अपनी संस्तुति आवास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी जिस पर आवास आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।